भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4954
दिनांक 01 अप्रैल, 2025/ 11 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

अपराध और अपराधी निगरानी नेटवर्क एवं प्रणाली

4954. डॉ. भोला सिंहः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अपराध और अपराधी निगरानी नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस) का उपयोग और परिणाम तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के पुलिस थानों को अपराध और अपराधी निगरानी नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस) के माध्यम से जोड़ने का महत्व एवं लाभ क्या है; और

(ग) वर्तमान में देश में सीसीटीएनएस से जुड़े पुलिस थानों की संख्या कितनी है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) लगभग वास्तविक समय के आधार पर अपराध और अपराधियों से संबंधित डेटा को जमा करने, अपडेट करने और साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। यह राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश पुलिस, केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और भारत के नागरिकों को विभिन्न लाभ प्रदान करता है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

पुलिस और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को लाभ:

- पुलिस प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण, जिसमें शिकायत दर्ज करना, एफआईआर, जांच विवरण, आरोप पत्र, न्यायालय निपटान और अपील, चालान/रजिस्टर इत्यादि शामिल हैं।
- अपराध एवं अपराधियों के राष्ट्रीय/राज्य डेटाबेस पर खोज
- प्रभावी न्याय प्रदान करने के लिए पुलिस, केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायालयों, जेल, फोरेंसिक और अभियोजन के बीच डेटा साझा करना

लोक सभा अता. प्र.सं. 4954, दिनांक 01.04.2025

डिजिटल पुलिस पोर्टल और केंद्रीय नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की गई हैं:

- गुमशुदा व्यक्तियों की खोज
- वाहन एनओसी जनरेट करना
- घोषित अपराधियों की जानकारी
- निकटतम पुलिस स्टेशन का पता लगाना

इसके अतिरिक्त, राज्य सीसीटीएनएस, नागरिक पोर्टल द्वारा निम्नलिखित 9 अनिवार्य नागरिक सेवाएं प्रदान की गई हैं:

- संबंधित पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करना
- शिकायतों की स्थिति प्राप्त करना
- एफआईआर की प्रतियां प्राप्त करना
- गिरफ्तार व्यक्तियों/वांछित अपराधियों का विवरण
- लापता/अपहृत व्यक्तियों का विवरण
- चोरी/बरामद वाहनों, हथियारों और अन्य संपत्तियों का विवरण
- विभिन्न एनओसी (जुलूस, कार्यक्रम/प्रदर्शन, विरोध/हड़ताल आदि) जारी करने/नवीनीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना
- नौकरों, रोजगार, पासपोर्ट, वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण आदि के लिए सत्यापन अनुरोध
- सूचना साझा करने और नागरिकों को आवश्यक फॉर्म डाउनलोड करने में सक्षम बनाने के लिए पोर्टल

(ग) 01.02.2025 तक देश भर के सभी 17,171 पुलिस स्टेशन जुड़ चुके हैं और सीसीटीएनएस का उपयोग कर रहे हैं।

****